बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0–1/पा0मे0–20/2023–444(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 21/6/2023

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में वीणा एजुकेशनल ट्रस्ट, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तावित मुजफ्फरपुर इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज, राम भजन बाजार, गोला रोड, मुजफ्फरपुर (बिहार) में निम्नांकित पारा मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मान्यता एवं पारा मेडिकल डिग्री कोर्स संचालन के अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया है–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
सर्टिफिकेट कोर्स		
1	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर	60 (साठ)
बैचलर कोर्स		
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी	60 (साठ)
2	बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी	60 (साठ)
3	बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट	60 (साठ)

2– वर्णितस्थिति में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 की कंडिका–6 एवं विभागीय आदेश सं0–1040(1), दिनांक–19.09.2018 के आलोक में संस्थान के निरीक्षण हेतु निम्नरुपेण विशेषज्ञ समिति/निरीक्षण समिति का गठन किया जाता है:–

(i) प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर -- अध्यक्ष
(ii) विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर – सदस्य
(iii) विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर – सदस्य
(iv) सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर – सदस्य
(v) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि – सदस्य

3– आवेदित पाठ्यक्रमों को दृष्टिपथ रखते हुए यह समिति निर्धारित चेकलिस्ट (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार प्रस्तावित संस्थान का स्थल निरीक्षण कर वर्णित नियमावली में निहित प्रावधानों एवं निर्धारित मापदण्डों के आलोक में पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक उपलब्ध आधारभूत संरचना, स्टाफ एवं अन्य उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं के संबंध में जाँच करेगी।

4– समिति संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं का वीडियोग्राफी संस्थान के खर्चे पर कराकर सी0डी0 सहित स्पष्ट अनुशंसा के साथ अपना प्रतिवेदन विभाग को 30 (तीस) दिनों के अन्दर अनिवार्यतः समर्पित करेगी।

5– उक्त विशेषज्ञ समिति/निरीक्षण समिति के सदस्य निरीक्षण प्रतिवेदन पर अपना पूर्ण नाम एवं पदनाम अवश्य अंकित करेंगे।

क्रमशः

6– यदि सदस्य द्वारा नामित प्रतिनिधि निरीक्षण करते हैं, तो नामित प्रतिनिधि भी अपना पूर्ण नाम एवं पदनाम निरीक्षण प्रतिवेदन पर अंकित करेंगे।

7– संस्थान अपना बेवसाईट तैयार कर समस्त सूचनाएँ, संस्थान के निरीक्षण के पूर्व, अपने बेवसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करेगी।

21.6.23
(डा0 नागेश्वर प्रसाद)
अपर निदेशक
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांक–1/पा0मे0–20/2023– 444(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 21/6/2023

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर/विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर /विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, वीणा एजुकेशनल ट्रस्ट, राम भजन बाजार, गोला रोड, मुजफ्फरपुर, पिन–842001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.06.23
अपर निदेशक
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना